कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, (पशुपालन प्रभाग) अन्तर्गत पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत पशु–पक्षी आपूर्त्ति किए जाने से संबंधित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता के चयन सह सूचीबद्ध करने हेतु

"इच्छा की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

राज्यादेश संख्या–11 रा० (वि०) दिनांक–10.07.2021 के अनुसार झारखण्ड के सभी जिलों में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत संचालित पशुपालन प्रक्षेत्र की योजनाओं बकरा विकास योजना, सूकर विकास योजना, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन) योजना, ब्रायलर कुक्कुट पालन योजना, बत्तख चूजा वितरण योजना के अन्तर्गत बकरा/बकरी, सूकर/सूकरी, लो इनपुट लेयर बर्ड, ब्रायलर एवं बत्तख चुजा चयनित एवं अनुसंशित लाभुकों को योजनान्तर्गत दिए गए राशि की अधिसीमा में उनके द्वार पर उपलब्ध कराये जाने के निमित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता को सूचिबद्ध किए जाने हेतु पशुपालन निदेशालय इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता से संलग्न परिशिष्ट में वर्णित प्रारूप में आवेदन की मांग करता है:–

कार्यक्षेत्र :– झारखण्ड के सभी जिलें।

निदेशालय :– योजनान्तर्गत वर्णित लक्ष्य पशुपालन प्रभाग एवं कल्याण विभाग के द्वारा आच्छादित लक्ष्यों का कुल योग है।

योजना की विवरणी :–

1. बकरा विकास योजना :– योजनान्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा आपूर्त्ति के क्रम में निम्न निदेश का पालन किया जाएगा।
   (क) बकरियों की उम्र कम से कम 8 माह, 1–2 जोड़ा permanent teeth, कम–से–कम 10 किलो वजन होना चाहिए।
   (ख) ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा का उम्र कम–से–कम 1 वर्ष, 1–2 जोड़ा permanent teeth, कम–से–कम 12 किलो वजन, अंडकोश पूर्ण विकसित, नाक सीधा सपाट, कान छोटा एवं आगे की ओर मुड़ा हुआ तथा रंग काला होना चाहिए।
   (ग) बकरा/बकरी को PPR टीकौषधि से टीकाकरण एवं Quarantine में रखने के बाद ही नियमानुसार स्वस्थ्य बकरा–बकरी ही लाभुकों को उपलब्ध कराया जाय।

(राशि रूपये में)

क्रमांक	मदवार व्यय की विवरणी	अनुमानित व्यय
1	चार ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी @ Rs. 4,000 एक ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा @ Rs. 5,000	21,000/–
2	**Quarantine Period Cost**	**To be borne by the agency**

Physical Details

Sl No	Districts	Total
1	रॉची	1586

Jyoti

2	खूंटी	502
3	गुमला	916
4	सिमडेगा	538
5	लोहरदगा	524
6	चाईबासा	1291
7	सरायकेला– खरसावाँ	635
8	जमशेदपुर	1114
9	लातेहार	560
10	साहेबगंज	707
11	दुमका	1000
12	जामताड़ा	524
13	पलामू	993
14	गढ़वा	715
15	हजारीबाग	890
16	रामगढ़	500
17	चतरा	523
18	कोडरमा	346
19	गिरिडीह	1277
20	बोकारो	961
21	धनबाद	974
22	गोड्डा	808
23	देवघर	739
24	पाकुड़	640
Total		**19099**

2. सूकर विकास योजना :– योजनान्तर्गत आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा आपूर्ति के क्रम में निम्न निदेश का पालन किया जाएगा।
   (क) सूकरों की उम्र कम से कम 4 माह या अधिक एवं 40 किलो वजन होना चाहिए।
   (ख) T&D या Jharsuk या अन्य उन्नत नस्ल के सूकर/सूकरी उपलब्ध कराया जाएगा।
   (ग) सूकर/सूकरी को Swine Fever टीकौषधि से टीकाकरण के बाद नियमानुसार लाभुकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(राशि रूपये में)

क्रमांक	मदवार व्यय की विवरणी	अनुमानित व्यय
1	(i) उन्नत नस्ल के 5 सूकर (1 नर + 4 मादा) का मूल्य + परिवहन सहित (उम्र – 4 माह एवं वजन 40 किलो) रू० 6,000/– प्रति मादा एवं 10,000/– प्रति नर	34,000/-
2	Quarantine Period Cost	To be borne by the agency

Physical Details

Sl No	Districts	Total
1	राँची	394
2	खूंटी	136

Jyoti

3		
4	गुमला	230
5	सिमडेगा	156
6	लोहरदगा	100
7	चाईबासा	337
8	सरायकेला– खरसावाँ	162
9	जमशेदपुर	267
10	लातेहार	140
11	साहेबगंज	155
12	दुमका	236
13	जामताड़ा	122
14	पलामू	178
15	गढ़वा	151
16	हजारीबाग	158
17	रामगढ़	119
18	चतरा	90
19	कोडरमा	53
20	गिरिडीह	236
21	बोकारो	188
22	धनबाद	178
23	गोड्डा	178
24	देवघर	149
	पाकुड़	159
Total		**4272**

3. <u>बैक्यार्ड लेयर कुक्कुट (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन) की योजना</u> :– 400 कुक्कुट प्रति इकाई की योजनान्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा आपूर्त्ति के क्रम में निम्न निदेश का पालन किया जाएगा।

- इस योजना के अन्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा वैसे लो इन्पुट लेयर कुक्कुट के नस्ल की आपूर्त्ति की जानी है जिसकी उत्पादन क्षमता प्रति कुक्कुट 200 या उससे अधिक अण्डा देने की हो एवं पिंजरा पद्धति में जिसका पालन सुगमता से किया जा सके।

(राशि रूपये में)

क्र०सं०	मदवार व्यय की विवरणी	अनुमानित व्यय
1.	लेयर बर्ड का दर रू० 35/- प्रति वर्ड (Layer Chicks)। 5 प्रतिशत Mortality को ध्यान में रखते हुए 420 के क्रय हेतु	14,700/-
2	Quarantine Period Cost	To be borne by the agency

Physical Details

Sl No	Districts	Total
1	राँची	195
2	खूँटी	73

Jyoti

3	गुमला	120
4	सिमडेगा	74
5	लोहरदगा	47
6	चाईबासा	165
7	सरायकेला– खरसावाँ	73
8	जमशेदपुर	138
9	लातेहार	69
10	साहेबगंज	81
11	दुमका	123
12	जामताड़ा	60
13	पलामू	86
14	गढ़वा	68
15	हजारीबाग	73
16	रामगढ़	52
17	चतरा	49
18	कोडरमा	27
19	गिरिडीह	117
20	बोकारो	94
21	धनबाद	96
22	गोड्डा	81
23	देवघर	70
24	पाकुड़	72
Total		**2103**

4. ब्रायलर कुक्कुट पालन (**500 broiler rearing unit**) योजना :– 500 कुक्कुट प्रति इकाई की योजनान्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा आपूर्त्ति के क्रम में निम्न निदेश का पालन किया जाएगा।

- इस योजना के अन्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा वैसे ब्रायलर कुक्कुट के नस्ल की आपूर्त्ति की जानी है जिसकी बढ़वार क्षमता प्रति कुक्कुट अच्छी (1.5 किलोग्राम–40 दिन की उम्र) अच्छी हो।

(राशि रूपये में)

क्र० सं०	मदवार व्यय की विवरणी	अनुमानित व्यय
1	ब्रायलर दर @ 30/- per broiler chick (परिवहन सहित) 5 प्रतिशत Mortality को ध्यान में रखते हुए 525 के क्रय हेतु	15,750/-

Physical Details

Sl No	Districts	Total
1	राँची	424
2	खूँटी	141
3	गुमला	245
4	सिमडेगा	155

5	लोहरदगा	99
6	चाईबासा	360
7	सरायकेला– खरसावाँ	169
8	जमशेदपुर	289
9	लातेहार	148
10	साहेबगंज	168
11	दुमका	253
12	जामताड़ा	130
13	पलामू	199
14	गढ़वा	164
15	हजारीबाग	177
16	रामगढ़	124
17	चतरा	100
18	कोडरमा	63
19	गिरिडीह	261
20	बोकारो	210
21	धनबाद	195
22	गोड्डा	191
23	देवघर	156
24	पाकुड़	167
Total		**4588**

5. **बत्तख चूजा वितरण की योजना (अण्डा उत्पादन हेतु) :– 15 बत्तख चुजा प्रति इकाई की योजनान्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा आपूर्त्ति के क्रम में निम्न निदेश का पालन किया जाएगा।**

- इस योजना के अन्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा वैसे बत्तख चुजा के नस्ल की आपूर्त्ति की जानी है जिसकी अण्डा उत्पादन एवं माँस उत्पादन क्षमता दोनों हो।
- उपरोक्त वांछित तथ्य के आलोक में आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज तकनी
- की निविदा में मूल्यांकण हेतु समर्पित किया जाना है।
- आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों के घर की दीवार पर योजना का ब्यौरा लाभुक का नाम/पता का लेखन भी निम्न वर्णित राशि का अधिसीमा के अन्तर्गत किया जाना है।

क्र० सं०	कार्य विवरणी	अनुमानित व्यय (राशि रुपये में)
1	2	3
1	15 (पन्द्रह) दिनों का 15 (पन्द्रह) लो इनपुटस बत्तख चूजों का वितरण लाभुक को उनके आवास में उपलब्ध कराया जाएगा। लाभुकों के घर की दीवार पर योजना का व्योरा एवं चयनित लाभुक के नाम एवं पता लेखन सहित (15 X Rs. 102/- प्रति पक्षी)	1,530

Physical Details

Sl No	Districts	Total
1	राँची	3109

Jyoti

2	खूँटी	1056
3	गुमला	1940
4	सिमडेगा	1152
5	लोहरदगा	765
6	चाईबासा	2499
7	सरायकेला– खरसावाँ	1360
8	जमशेदपुर	2387
9	लातेहार	1190
10	साहेबगंज	1508
11	दुमका	2151
12	जामताड़ा	1111
13	पलामू	2126
14	गढ़वा	1571
15	हजारीबाग	1908
16	रामगढ़	1111
17	चतरा	1121
18	कोडरमा	757
19	गिरिडीह	2760
20	बोकारो	2054
21	धनबाद	2073
22	गोड्डा	1736
23	देवघर	1977
24	पाकुड़	1342
Total		**40764**

"इच्छा की अभिव्यक्ति" को निम्न पते पर भेजें

निदेशक, पशुपालन, पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, पशुपालन भवन, हेसांग, हटिया, राँची पिन कोड–834003

इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उपरोक्त पता पर कार्यालय में हाथों–हाथ जमा किया जा सकता है।

इच्छा की अभिव्यक्ति दस्तावेज प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : 17.01.2022 समय 05:00 बजे तक।
इच्छा की अभिव्यक्ति जमा करने की अन्तिम तिथि : 20.01.2022 समय 05:00 बजे तक।
इच्छा की अभिव्यक्ति के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को खोलने की तिथिः 21.01.2022 समय 11:30 बजे पूर्वाहन्।
इच्छा की अभिव्यक्ति दस्तावेज शुल्क :– Non Refundable **Bank Draft of Rs. 5000/- (Rupees Five Thousand only)** in favour of "Director Animal Husbandry, Government of Jharkhand" payable at Ranchi

<u>इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए पात्रताः</u>

1. झारखण्ड सरकार में फार्म (प्रजनन प्रक्षेत्र) होना आवश्यक है।
2. पूर्व से क्रय विक्रय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

Jyoti

3. कार्य के निष्पादन हेतु विभाग स्तर से निर्गत मानक कार्य प्रणाली (SOP) for procurement एवं PCICD Act-2009 (Animal Quarantine Manner of Inspection Rule-2016) अनुपालन हेतु आवश्यक Quarantine, Vaccination, Identification इत्यादि कार्य हेतु आवश्यक भौतिक एवं मानव संसाधन इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता संस्था के पास उपलब्ध होना चाहिए।(आवेदन के साथ उक्त का ब्यौरा संलग्न करना होगा।)
4. पैन एवं आयकर डिटेल विगत तीन वर्षों का।
5. जी०एस०टी० एवं जी०एस०टी० से संबंधित डिटेल।
6. Modified Balance Sheet डिटेल विगत तीन वर्षों का।

<u>नियम एवं शर्तें:-</u>

- ✓ इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता को इच्छा की अभिव्यक्ति का तकनीकी प्रस्ताव (संलग्न विहित प्रपत्र में अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में देना होगा जिस पर इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता संस्था के नाम पता के साथ तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव लिखा होना चाहिए।
- ✓ संबंधित इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता को उपरोक्त वांछित पशु ब्यौरा के अन्तर्गत वर्णित अधिसीमा के अन्दर ही FOR Destination पर करने हेतु घोषणा पत्र देना होगा।
- ✓ इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था को इच्छा की अभिव्यक्ति के तकनिकी प्रस्ताव खोलने के समय (दिनांक-21.01.2022 को समय पूर्वाहन् 11:30 बज) तकनीकी समिति के समक्ष कार्यो का प्रस्तुतीकरण समिति के निदेश पर करना होगा। समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा के बाद इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता संस्था के तकनिकी प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाएगा तथा स्वीकृत प्रस्तावों से संबंधित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था को सूचीबद्ध किया जाएगा।
- ✓ प्रत्येक माह में किए गए कार्यो का भौतिक उपलब्धि प्रतिवेदन चयनित इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता को संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं एक प्रति निदेशालय में ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ चयनित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता संस्था को गुणवत्तायुक्त कार्य सम्पादन करने निमित पशुपालन निदेशालय के साथ 100/- रू० के Stamp Paper पर पशु पक्षी आपूर्त्ति से संबंधित एकरारनामा करना होगा।
- ✓ चयनित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता संस्था संस्था द्वारा किए गए कार्य संतोषप्रद एवं गुणवतायुक्त नहीं होने की स्थिति में संस्था के चयन को रद्द करते हुए काली सूची में डालने हेतु कार्रवाई की जाएगी एवं अगले तीन वर्ष तक उन्हें सूचीबद्ध नहीं करने संबंधी कार्रवाई की जाएगी। सूचीपत्र संबंधी घोषणा पत्र देना होगा।
- ✓ चयनित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता संस्था द्वारा वर्णित कार्य किसी अन्य एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था को सबलेट नहीं किया जाएग। सूचीपत्र संबंधी घोषणा पत्र देना होगा।
- ✓ आपूर्त्तिकर्त्ता एवं लाभुक के बीच आपसी विमश्झ के द्वारा पशु-पक्षी का मूल्य निर्धारण किया जाएगा।
- ✓ एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता संस्था को स्वघोषित करना होगा कि विगत 10 वर्षों में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत किसी भी जिले में किसी भी प्रकार का आपूर्त्ति से संबंधित उनका कोई न्यायालय से लम्बित मामला नहीं है एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा कभी भी किसी प्रकार का कोई शिकायत उनके खिलाफ

Jyoti

दर्ज नहीं किया गया है। साथ ही उन्हें कभी किसी के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है न ही इन पर कोई अपराधिक मामला दर्ज है।

- ✓ उक्त इच्छा की अभिव्यक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए हुए निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची को रद्द करने का अधिकार होगा।
- ✓ इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता संस्था को इच्छा की अभिव्यक्ति प्रस्ताव के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निदेशक पशुपालन झारखण्ड, राँची के पदनाम से निर्गत राँची में भुगतेय 5000/–रू० (पाँच हजार रूपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा दस्तावेज मूल्य स्वरूप संलग्न करना होगा।
- ✓ चयनित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता संस्था से सभी कार्य/कोई एक कार्य कराने हेतु निदेशालय स्वतंत्र होगा।

निदेशक, पशुपालन

Annexure-I

APPLICATION FORMAT FOR SUBMISSION OF EOI

Please furnished details as below mention in computer typed Format

Interested Agency are requested to submit the EOI as per the format described below.

General Details of the Agency/ Organisation:

Sl. No	Particulars	Deatils	Details of Document Attached	Mention Page No of Technical Bid
01	Name of the Agency/Organization			
02	**Address of Head office:** Telephone: E-mail: Fax number(if any): Name(s) of the contact person(s):			
03	**Corresponding Office address (If different from the above address:** Telephone number : Name(s) of the contact person(s) along with mobile number and e-mail id.			
04	Year of establishment of the Agency/ Organization (attach Human Resources Infrastructure document)			
05	Years of work experience in executing projects/ programmes as mentioned in eligibility criteria of the EoI document.			
06	Income Tax - PAN No.			
07	Income Tax Return Details (i) 2017-18 (ii) 2018-19 (iii) 2019-20			
08	GST Regn No.			
09	GST Return filed till date (if applicable)			
10	The Agency is a proprietary/partnership/Limited Co./Society/federation (Please attach documentary evidence)			
11	If the Agency is a partnership Co.-the name of the partners and authorized signatory for submission of the EoI.			

N.B.: Document in support of all the above indicated is to be enclosed.

Jyoti

Annexure-II

Details of Livestock (Including birds) related Projects undertaken-up in last 3 years by the Agency (Attach Invoice/Order Copy)

Please furnished details as below mention in computer typed Format

Sl. No.	Name of Project	Locations	Funding Agency/ Department/ Ministry	Period of Implementation	Total number of distributor	Total Cost of the Project for which engaged (Rs. in Lakhs)	Documentary Evidence attach
1							
2							
3							

Jyoti